



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.सहा. एवं ना.सु.वि.) जालोर

क्रमांक: / अग्निकाण्ड सहायता / आ.प्र.एवं सहा. / 2020 / 641

दिनांक :- 29-1-21

प्रशासनिक स्वीकृति

प्राकृतिक आपदा अग्निकाण्ड से क्षति के निम्न प्रकरणों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन अनुभाग के पत्रांक 32-7/2014 NDM-1 दिनांक 08.04.2015 अवधि दिनांक 2015-2020 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अन्तर्गत दिए प्रावधानों अनुसार आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार को उनके नाम के आगे अंकित सहायता राशि का नियमानुसार भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	ऑनलाईन आवेदन संख्या	पिड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/JALO/ 2020/004027	श्री नारणाराम पुत्र श्री भारमलराम कोली	नारणाराम का घर कोलियों की गढी, गांव होथीगांव, तहसील चितलवाना जिला जालोर	17.04.2020	प्राकृतिक आपदा अग्निकाण्ड	मृतका श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि नारणाराम कोली	400000

अक्षरे चार लाख रुपये मात्र

बजट मद 2245-01-800-(03)-(02)-12

(हिमांशु गुप्ता) 28/01

जिला कलेक्टर

12 જાલોર

दिनांक 29-1-21

क्रमांक/सम/ 642-647

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रवन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी चितलवाना।
4. तहसीलदार चितलवाना।
5. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी जालोर।
6. रोकडपाल, कार्यालय हाजा।

प्रभारी अधिकारी, 28/11/24

(आ.प्र.सहा.एव.ना.सु.वि.),

✓ जालोर